

कार्यालय कलेक्टर (खाद्य), जिला शाजापुर (म.प्र.)

(E-mail - dsoshaja@gmail.com)

क्रमांक / खाद्य / प्रेसनोट / 2023 / 532

शाजापुर दिनांक 14/09/2023

..... प्रेस नोट

मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 की कंडिका 8 (1) सहपठित अनुसूची 'दो' में संशोधन दिनांक 11 अप्रैल, 2016 (परिशिष्ट "दो") के अनुसार उचित मूल्य दुकान आबंटन हेतु निम्नांकित संस्थाएं/समूह/समिति पात्र हैं:-(क) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 10 की उपधारा (1) के अंतर्गत वर्गीकृत (i) उपभोक्ता सोसायटी (ii) विपणन सोसायटी (iii) उत्पादक सोसायटी (iv) संसाधन सोसायटी (v) बहुप्रयोजन सोसायटी। (ख) महिला स्व-सहायता समूह। (ग) संयुक्त वन प्रबंधन समितियों में से इच्छुक/पात्र संस्थाओं से एतद् द्वारा ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

उक्त प्रावधानों के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में शासकीय उचित मूल्य दुकान खोली जाना है, जिसके तहत वर्तमान में अनुविभाग शाजापुर में निम्नांकित 12 ग्राम पंचायतें शासकीय उचित मूल्य दुकानविहीन हैं :-

क्रं.	जनपद पंचायत का नाम	दुकानविहीन ग्राम पंचायत का नाम
1	शाजापुर	1-बापचा 2-मालीखेडी 3-कुलमनखेडी, 4-खोरिया नायता 5-महेन्दी 6-कुकडी
2	मो.बडोदिया	1-नया चौमा 2-टुंगनी 3-पिपलोदा (ईस्माईल) 4-लसुल्लिया जगमाल 5-फावका 6-कुमारिया खास

2/- मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 की कंडिका 7(2) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में पात्र गृहस्थियों की संख्या 800 से अधिक होने पर एक अतिरिक्त दुकान खोली जाना है, जिसके तहत वर्तमान में अनुविभाग शाजापुर में निम्नांकित 02 शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर 800 से अधिक पात्र परिवार संलग्न हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्रं.	जनपद पंचायत का नाम	800 से अधिक संलग्न पात्र परिवारों वाली दुकान का नाम
1	मो.बडोदिया	1-मोहना (1902019) 2-करजू (1902026)

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा विभाग की वेबसाइट [https:// m ration mitra](https://m.rationmitra) पोर्टल पर उक्तानुसार ग्राम पंचायतों के लिए पात्र संस्थाएं दिनांक 18/09/2023 से 25/09/2023 तक ऑनलाईन आवेदन कर सकती हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदनो पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

कलेक्टर

जिला शाजापुर (म.प्र.)

शाजापुर दिनांक 14/09/2023

पृ.क्रमांक / खाद्य / प्रेसनोट / 2023 / 532

प्रतिलिपि :-

- 1 आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भोपाल।
- 2 सहायक संचालक, जनसम्पर्क कार्यालय, जिला शाजापुर की ओर निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

कलेक्टर

जिला शाजापुर (म.प्र.)